



पत्र सं-

/ /

दिनांक

### अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य हेतु परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु पंजीकृत फर्मों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (₹० लाख में)	धरोहर धनराशि (₹० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य 18% GST सहित (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा डाउनलोड करने की तिथि	बिड खुलने की तिथि व समय
1	मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ़ में विद्युत/यांत्रिक कार्यों के अन्तर्गत फायर फाइटिंग कार्यों हेतु अण्डरग्राउण्ड टैंक का निर्माण कार्य।	15.00	0.30	1180.00	2 माह	05.02.2024	19.02.2024 11:30 AM
2	जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़ में विद्युत/यांत्रिक कार्यों के अन्तर्गत फायर फाइटिंग कार्यों हेतु अण्डर ग्राउण्ड टैंक का निर्माण कार्य।	15.00	0.30	1180.00	2 माह	05.02.2024	19.02.2024 11:30 AM

#### नियम एवं शर्तें

- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से इण्डियन बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के खाता सं०-५०१४१२९७४६४ आई.एफ.एस.सी. कोड-IDIB000I522 में निविदा खुलने से एक दिन पूर्व विद्युत/यांत्रिक-इकाई के उपरोक्त खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र एन०आई०सी० की वेबसाईट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के निविदा लिंक पर उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि व नियमितरूप से उक्त वेब साईट देखते रहें क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना केवल वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेंगी। डिजिटल सिनेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदादाता फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कोई कर जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जाती है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।

#### प्रकाशनार्थ नहीं:

- निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सीडी०आर० के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
- कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता द्वारा बिड में दिए गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हए काली सूची में डाला जायेगा।
- शासनादेश सं०-६२२-२३१-१२-२०१२-२ आडिट/०८ टी०सी०/दिनांक ०८.०६.२०१२ के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल आफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत बिलों (नीची दर/कम दर) तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (नीची दर/कम दर) पर 1 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारंटी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) निविदा स्वीकृति से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात वापसी योग्य होगी।

क्रमशः....2/-

5. सभी देयकों से कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है कि कटौती नियमानुसार की जायेगी।
6. सशत नियिदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. ई-नियिदा की खोलने की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना वेबसाइट पर शिड खुलने के एक कार्य दिवस के अन्दर देखी जा सकती है।
8. कार्यालय में नियिदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण एवं नियिदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर ले।
9. चिकित्सालयों में कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के दृष्टिगत कार्यों की मात्रा के विचलन होने की दशा में फर्म द्वारा नियिदा दरों पर ही कार्य पूर्ण किया जाना होगा।
10. नियिदादाता के नियिदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित नियिदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों-असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा किसी भी राज्य के बार काउन्सिल में पंजीकृत है तो उससे किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियिदादाता/ठेकेदार की होगी।
11. आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्यों हेतु ००प्र० भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते यिनियम नियमावलि वर्ष २००९ के विनियम २४ (२) के अन्तर्गत प्रत्येक सविदा के लिए एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः नियिदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियिदा मूल्य तथा नियामानुसार लेवर सेस की कटौती की जायेगी।
12. धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, ००प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के खाते में एक दिन पूर्व जमा करनी होगी तथा उक्त जमा रसीद की मूल कापी की छाया प्रति ई-नियिदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर अपलोड करना आवश्यक है। नियिदा का मूल्य एवं धरोहर धनराशि जमा न होने की स्थिति में नियिदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. परिषद में पंजीकृत ठेकेदार जिन्होंने अपने श्रेणी में पूर्ण स्थाई धरोहर धनराशि जमा की हुई हो को अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
14. कार्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें इत्यादि नियिदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त की जा सकती है।
15. कोई एक अथवा समस्त नियिदायें पूर्ण/आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार परिषद को सुरक्षित होगा। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य न होगा।
16. Experience of having successfully completed similar works during last 7 years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following: -  
 a. Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.  
 or  
 b. Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.
- c. One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost

प०स०

66

Ac-3

4

दिनांक-

30/1/24

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक(म०), ग्लोबल कन्सल्टेन्सी सेल, ००प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता(म०), लखनऊ वृत्त, ००प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, लखनऊ।
4. सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर/अवर अभियन्ता (तकनीकी), विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर सेल, ००प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. मैसर्स एलाज एडवरटाइजिंग, के-७६५, आशियाना कालोनी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 31.01.2024 तक दैनिक समाचार "अमर उजाला" हिन्दी एवं "पायनियर" अंग्रेजी (५×५) में प्रकाशित कराते हुए बीजक दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करें।
7. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता